महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर

क्रमांक: सामान्य/मु.भ./क्रय/01/2022-23/ 79073-78 दिनांक: 09/02/2022

खुली बोली आमंत्रण सूचना

महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर में वित्तीय वर्ष 2022-23 में किराये पर फोटो स्टेट मशीन लगाकर फोटो प्रतियां करने हेतु बोली आमंत्रित की जाती है। इच्छुक पंजीकृत फर्म/बोलीदाताओं अपनी दरें निर्धारित बोली प्रपत्र में भरकर दिनांक /03/2022 को दोपहर 01.00 बजे तक इस कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है। प्राप्त बोली दिनांक 16/03/2022 को अपराह्न 2.00 बजे उपस्थित बोलीदाताओं के समक्ष खोली जायेगी। बोली का अनुमानित वार्षिक मूल्य राशि रूपये 9.00 लाख है। बोली के साथ बोली प्रतिभूति राशि नियमानुसार जमा करानी होगी एवं बोली प्रपत्र शुल्क 500/- नकद/डी.डी. द्वारा जमा कराना होगा। बोली की शर्ते इस कार्यालय में कार्यालय समय में आकर देखी सकती है जो सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार की वैबसाइट "www.dipr.rajasthan.gov.in" एवं कारागार विभाग की बैबसाइट "www.home.rajasthan.gov.in" एवं "www.sppp .rajasthan.gov.in" पर भी उपलब्ध है। किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने के संबंध में अंतिम निर्णय का अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता का होगा।

क्र. सं.	वस्तु का नाम	कुल अनुमानित राशि रूपये (लाखों में)	बोली प्रतिभूति राशि	बोली प्रपत्र शुल्क
1.	किराये पर फोटो स्टेट मशीन लगाकर फोटो प्रतियां करने हेतु	09.00	18000/-	500/-

UBN No.: JLD2122SSRC00115

8/2/22
(यू.एल. छानवाल)
महानिरीक्षक पुलिस (कारागार)
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:सामान्य/मु.भ./क्रय/01/2022-23/ दिनांक: /02/2022

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान जयपुर।
2. उपापन समिति, अध्यक्ष/सदस्य...................................।
4. नोटिस बोर्ड मुख्यालय कारागार राजस्थान, जयपुर पर चस्पा हेतु।
5. निदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि खुली प्रतियोगी दर अनुबंध बोली आमंत्रण सूचना का राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 43(6) के अनुसार एक क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र में न्यूनतम स्पेस एवं अनुमोदित दरों पर न्यूनतम 7 दिवस की अवधि के लिए अविलम्ब प्रकाशन कराने का श्रम करावें।
6. प्रभारी कम्प्यूटर सैल, महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि निविदा को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु।
7. रक्षक पत्रावली।

महानिरीक्षक पुलिस (कारागार)
राजस्थान जयपुर

परिशिष्ट ''अ''

महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर

क्वालीफाईग बोली प्रारूप

तकनीकी निविदा प्रपत्र

1. किराये पर फोटो स्टेट मशीन लगाकर फोटो प्रतियां करने हेतु बोली।
2. बोली प्रस्तुत करने वाली फर्म/ठेकेदार का नाम व डाक का पता व दूरभाष नं...
3. किसको सम्बोधित की गयी। महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान, जयपुर।
4. सन्दर्भः- सामान्य/क्रय/मु.भं./01/2022-23/...............दिनांकः............
5. बोली प्रपत्र शुल्क की राशि....................नगद रसीद संख्या........... एवं दिनांक......................./बैंक ड्राफ्ट/डी.डी. संख्या.................... दिनांक.....................के द्वारा जमा करा दी गयी है।
6. फर्म/ठेकेदार के स्वामियों/भागीदारों के नाम व स्थायी पते की सूची संलग्न है।(केवल फर्म की स्थिति में)
7. बोली प्रतिभूति राशि के पेटे बैंक ड्राफ्ट/बैकर्स चैक संख्या ------------जो (बैंक का नाम) -- पर आहरित किया गया है/नकद रसीद संख्या ------------ चालान संख्या------------- दिनांक --------- राशि रूपये --------- संलग्न है।
8. फर्म का जीएसटी पंजीयन प्रमाण-पत्र संलग्न हैं।
9. फर्म का पेन/आधार/सॉप एक्ट 1958 होने पर पंजीयन प्रमाण-पत्र संलग्न हैं।
10. वर्णित सभी शर्तो मय परिशिष्ट ''अ'' ''ब'' ''स'' ''द'' व एनेक्चर "A" "B" "C" "D" (इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तो को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं) तथा दी गई उक्त बोली सूचना की अतिरिक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते हैं।
11. मशीन के कम्पनी का नाम, क्रय का वर्ष, मैक साईज, नई/पुरानीः- ... .

बोलीदाता के हस्ताक्षर

परिशिष्ट "ब"

महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर

फोटो प्रतियों मय कागज उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय बोली प्रपत्र

1. फर्म/ठेकेदार का नाम:...

2. स्थाई पता: ....

....

....

3. दूरभाष/मोबाइल:...

4. मशीन का विवरण :..

....

(कम्पनी का नाम, क्रय का वर्ष, मैक साईज)...................................

....

5. फोटो प्रति करने की दर प्रति कॉपी :-

साईज	कागज के एक साईड फोटोप्रति की दर		कागज के दोनों साईड में फोटो प्रति की दर	
	अंको में	शब्दों में	अंको में	शब्दों में
	(समस्त कर सहित)		(समस्त कर सहित)	
ए-4				
ए-3				
लीगल (एफ.एस.)साईज				

मैंने/हमने बोली शर्तो को पढ़ लिया है। बोली शर्तो एवं उपरोक्त दरों पर विभाग में फोटोस्टेट मशीन मय ऑपरेटर एवं कागज सहित लगाने की सहमति दी जाती है।

हस्ताक्षर
फर्म के प्रतिनिधि का नाम व पता

महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर

बोली की शर्ते

बोली की शर्ते निम्न प्रकार होगी:-

1. बोलीदाता फर्म को अच्छी हालत की फोटो स्टेट मशीन मय ऑपरेटर के उपलब्ध करानी होगी। फोटो स्टेट मशीन 05 वर्ष से अधिक पुरानी न हो। संबंधित दस्तावेज संलग्न करें।
2. फोटो कॉपी का कागज 70 GSM (जो अच्छी किस्म का हो) स्वयं के व्यय पर उपलब्ध कराना होगा।
3. फोटो कॉपीयर मशीन की प्रति फोटो कॉपी दर ए-4/ए-3/लीगल (एफ.एस.) साईज कागज के लिए पृथक-पृथक वित्तीय बोली प्रपत्र में निर्धारित कॉलम में अंकित करनी होगी।
4. बोलीदाता फर्म को महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर द्वारा स्थान व विद्युत उपलब्ध करायी जावेगी किन्तु इस हेतु 8 पैसे (5 पैसे विद्युत-3 पैसे स्थान हेतु) प्रति कॉपी की दर से राशि की कटौती मासिक बिल से समायोजित की जावेगी।
5. बोलीदाता फर्म को विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों से निर्धारित मांग पत्र के अनुसार फोटो प्रतियाँ करनी होगी तथा मांग पत्रों को एकत्र कर मासिक बिल के साथ तिथिवार विवरण के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करनी होगी। मांग पत्र का प्रारूप विभाग द्वारा फर्म को उपलब्ध कराये जायेगें। मांग पत्र प्राप्त होने पर फोटो कॉपी की जावेगी।
6. कार्यालय द्वारा रूपये 9.00 लाख तक का कार्य कराने का वार्षिक अनुमान है। जिसमें आवश्यकतानुसार कमी/वृद्धि संभव है।
7. बोलीदाता फर्म को स्थान उपलब्ध करा दिया जावेगा। किन्तु मशीन की चोरी एवं मशीन के नुकसान हेतु विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।
8. विभाग का रिकार्ड गोपनीय होने के कारण किसी भी हालत में कार्यालय परिसर से बाहर रिकार्ड ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
9. अच्छी किस्म की फोटो प्रतियाँ उपलब्ध कराने पर बजट उपलब्ध होने पर ही उनका भुगतान किया जावेगा। यदि फोटो प्रतियॉ खराब होगी तो उनका भुगतान नहीं किया जावेगा।
10. बोलीदाता फर्म से 31.03.2023 तक के लिए अनुबंध किया जावेगा। जिसे आपसी सहमति से विशेष परिस्थितियों में आगामी तीन माह तक बढाया जा सकता है। बोलीदाता फर्म को प्रत्येक कार्यालय दिवस में चालू हालत में मशीन उपलब्ध करानी होगी। यदि मशीन खराब रहती है तथा विभाग को अपने व्यय पर बाजार से फोटो प्रतियॉ करानी पडी तो अन्तर की राशि की वसूली फर्म के बिल से की जायेगी। कार्य संतोषजनक नहीं होने की दशा में अनुबंध कभी भी निरस्त कर दिया जावेगा।
11. फर्म को मासिक रूप से बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत करना होगा। बिल के साथ विभाग द्वारा कराई गई फोटों प्रतियों का मांग पत्र तिथिवार लगाना होगा एवं प्रतिदिवस करायी जाने वाली फोटो प्रतियों के संदर्भ में फोटोप्रतियों का विवरण दर्ज करने हेतु निर्देशानुसार एक रजिस्टर का संधारण करना होगा।
12. अनुमोदित दरों पर केन्द्रीय कारागृह, जयपुर एवं महिला सुधारगृह, जयपुर के कार्यालय के प्रपत्रों की भी फोटो प्रतियां कराई जा सकेगी जिसके लिए भुगतान भी संबंधित कार्यालयों द्वारा ही किया जावेगा।

13. फर्म को बोली प्रपत्र के साथ मशीन का विवरण जमा कराना होगा।
14. बोली प्रतिभूति राशि- राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 42 के अनुसार बोली प्रतिभूति राशि विषय वस्तु के प्राक्कलित मूल्य का 2 प्रतिशत होगी, जो महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान जयपुर के नाम ई-ग्रास चालान/शिडयूल्ड बैक का बैक डी.डी/बैकर्स चैक आदि माध्यम से दी जायेगी।
15. सफल बोलीदाता फर्म द्वारा फोटोकॉपी नही करने पर प्रतिदिन 500/- की शास्ति काटी जावेगीं ।
16. बोली के साथ बोली दस्तावेज के समस्त पत्रादि यथा परिशिष्ट ''अ'' ''ब'' ''स'' ''द'' व एनेक्चर ''A'' ''B'' ''C'' ''D'' आदि हस्ताक्षर मय मोहर संलग्न प्रस्तुत करने होगें।
17. सफल बोलीदाता फर्म को कार्य की अनुमानित कुल वार्षिक राशि के कार्य हेतु 500 रूपये के मूल्य के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर करार पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं 2.5 प्रतिशत कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी।
18. अवकाश के दिवस पर विशेष कार्य होने पर निर्देश दिये जाने पर कार्यालय में उपस्थित होकर फोटो कॉपी कार्य सम्पन्न करना अनिवार्य होगा।
19. उक्त निविदा का तकनीकी प्रपत्र तथा वित्तीय प्रपत्र अलग-अलग लिफाफे में बन्द कर दोनों के नामांकन किये जाकर एक बडे लिफाफे में सील बन्द कर प्रस्तुत किया जावें।
20. तकनीकी/वित्तीय निविदा प्राप्ति/खोलने की तिथि को अवकाश घोषित होने पर अगले कार्य दिवस को उसी समय पर बोली प्राप्त/खोली जायेगी।
21. तकनीकी निविदा में सफल फर्म की वित्तीय निविदा खोली जायेगी।
22. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध में/सन्दर्भ में किसी प्रकार का मुआवजा विभाग द्वारा देय नहीं होगा।
23. फर्म द्वारा फोटो कॉपी करने के लिए नियुक्ति किये गये कार्मिक के चरित्र प्रमाण पत्र, फोटो पहचान पत्र, स्थायी पता व मोबाईल नम्बर कार्यालय को उपलब्ध कराने होंगे।
24. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं होगी।
25. फर्म के प्रस्तुत बिल से नियमानुसार टी.डी.एस. तथा जीएसटी टीडीएस की कटौती की जायेगी।
26. भ्रमित करने वाले दरें मान्य नहीं होगी।
27. समस्त दरें निविदा में निर्धारित प्रपत्र में ही देनी होगी। अन्य किसी प्रपत्र में मान्य नहीं होगी।
28. उक्त सभी शर्तो के अतिरिक्त यथास्थान आर.टी.पी.पी. एक्ट 2012 एवं आर.टी.पी.पी. नियम 2013 के अनुसार लागू रहेगी।
29. बोली की शर्तो की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जायेगी।

8/3/22

महानिरीक्षक पुलिस (कारागार)
राजस्थान जयपुर

बोलीदाता के हस्ताक्षर

महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर

परिशिष्ट–''स''

खुली प्रतियोगी बोली के लिए बोली एवं संविदा की सामान्य शर्ते

नोटः– बोलीदाताओं को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढना चाहिये।

1. **बोली भरने की प्रक्रियाः–** बोली सूचना में दी गई मुख्य शर्तो में अंकित है जिसकी पूर्ण पालना आवश्यक है ।

2. (i) फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना ''महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान जयपुर'' को लिखित में बोलीदाता द्वारा दी जाएगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले के सदस्य/सदस्यों को मुक्त नही किया जाएगा।

(ii) संविदा के संबंध में फर्म में किसी भी नये भागीदार/भागीदारों को बोलीदाता द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नही किया जाएगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तो को मानने के लिए लिखित रूप से बाध्य नही हो जाते एवं ''महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान जयपुर'' को इस संबंध में लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नही कर देते । प्राप्ति स्वीकृति के लिए ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप से स्वीकार की गई किसी भागीदार की रसीद उन सबकों बाध्य करेगी तथा संविदा के किसी प्रयोजन के लिए वह पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति (डिस्चार्ज) होगी।

3. **जीएसटी पंजीयन प्रमाण पत्र (GST Registration Certificate) :–**

(i) कोई भी बोलीदाता जो जीएसटी के अन्तर्गत पंजीकृत नही है, वह बोली नही दे सकेगा। बोलीदाता द्वारा पंजीयन संख्या का उल्लेख किया जाऐगा। प्रमाण–पत्र की प्रति प्रस्तुत करना होगा।

4. बोलीदाता बोली एवं बोली की समस्त शर्तो को स्वीकार करने के प्रमाण स्वरूप परिशिष्ट–'द' एवं अनुलग्नक 'ब' पर अपने हस्ताक्षर उपरान्त साथ प्रस्तुत करें। यदि बोलीदाता द्वारा उक्तानुसार परिशिष्ट 'द' एवं अनुलग्नक 'ब' हस्ताक्षर करके प्रस्तुत नहीं किया गया है तो बोली निरस्त कर दी जावेगी।

5. **दरे :–**

(i) बोली में दरे शब्दो एवं अंको दोनो रूप में लिखी जावेंगी। इसमें कोई त्रुटि (Errors) एवं उपरिलेखन (Overwriting) नही होना चाहिये। यदि कोई शुद्धि करनी हो तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिये एवं दिनांक सहित उन पर लघु हस्ताक्षर किये जाने चाहिए।

(ii) बोली मूल्याकंन समिति निम्नलिखित आधार पर सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी :–

(क) ईकाई मूल्य (Unite Price) और कुल मूल्य (Total Price) जो ईकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है, के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो ईकाई मूल्य प्रभावी (Prevail) होगा। अर्थात ईकाई मूल्य स्वीकार किया जावेगा और कुल मूल्य में सुधार किया जावेगा। जब तक कि बोली मूल्याकंन समिति की राय में ईकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गई है, ऐसे मामलों में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और ईकाई मूल्य में सुधार किया जावेगा।

(ख) यदि योग के घटकों को जोड़ने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक (Sub Total) प्रभावी (Prevail) होंगे और कुल योग में सुधार किया जावेगा।

(ग) यदि शब्दों और अंको के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गई रकम तब तक प्रभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो।

ऐसे मामलों में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्यधीन न रहते हुए अंको में अभिव्यक्त रकम प्रभावी होगी।

(iii) बोली में दर अंकित करते समय मय GST दर अंकित की जावे। अस्पष्ट वाक्य, जैसे ''टैक्स पैड'' ''कर सहित'' ''एज एप्लीकेबल'' का प्रयोग नहीं किया जावे। टैक्स में रियायत मिली हुई है तो इस बात का स्पष्ट उल्लेख करें एवं इसका प्रमाण भी प्रस्तुत करे। यदि सरकार द्वारा GST में कालान्तर में बढोतरी या कमी की जाती है तो उसी के अनुसार भुगतान किया जावेगा।

(iv) बोली में दरें परिशिष्ट ''ब'' के अनुसार गन्तव्य स्थान तक एफ.ओ.आर. अंकित की जानी चाहिये तथा उसमें जीएसटी के अलावा समस्त प्रकार के टैक्स एवं आनुषंगिक (Incidental) प्रभारों को

शामिल करना चाहिये। राज्य सरकार द्वारा कोई गाडी भाडा या परिवहन प्रभार नहीं दिया जाएगा तथा माल की सुपुर्दगी महानिदेशालय कारागार राजस्थान घाटगेट जयपुर के भण्ड़ार में दी जाऐगी।

(v) बोली में दर अंकित करते समय किसी भी प्रकार की रिबेट/छूट घटाकर शुद्ध दरें (NET) ही दी जावे।

(vi) सप्लाई के समय अग्रिम भुगतान की शर्त स्वीकार्य नही होगी। अतः बोली में दर अंकित करते समय अग्रिम भुगतान की शर्त नही दी जावे। यदि अग्रिम भुगतान की शर्त लगाई जाती है तो सशर्त बोली मानकर निरस्त कर दी जावेगी।

(vii) सप्लाई के समय माल प्राप्त होने पर निरीक्षण उपरान्त माल विभागीय स्पेशिफिकेशन के अनुसार पाये जाने पर यथाशीघ्र बजट उपलब्धता पर भुगतान कर दिया जावेगा। अतः बोली में दर अंकित करते समय माल की सप्लाई के पूर्ण करने पर भुगतान हेतु समय सीमा की शर्त अंकित नही की जावे। यदि भुगतान हेतु समय सीमा अंकित की जावेगी तो सशर्त बोली मानकर निरस्त की जा सकेगी।

(viii) विभागीय सप्लाई अवधि के अनुसार ही बोली में दरें अंकित की जावें। विभागीय सप्लाई अवधि के अनुसार नही दी गई दरें अमान्य होगीं व बोली निरस्त की जा सकेगी ।

(ix) बोली दरें खुलने के पश्चात यदि कोई बोलीदाता अपने आप दर में कमी करता है तो वह प्रस्तावों में उपान्तरण माना जावेगा। जिसकें कारण उसकी बोली निरस्त कर बोली प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी।

(x) बोलीदाता द्वारा बोली आमंत्रण में अंकित पूर्ण मात्रा हेतु बोली दी जावेगी। बोली आमंत्रण में अंकित मात्रा से कम मात्रा हेतु दी गई बोली मान्य नही होगी। जिसके आधार पर बोली निरस्त कर दी जावेगी।

(xi) किसी आईटम की विभिन्न साईज है तो प्राईस बिड में सभी साईज की एक ही दर अंकित की जावे ।यदि विभिन्न साईज की अलग–अलग दरें अंकित की जावेगी तो उसकी बोली अमान्य की जावेगी।

6. <u>बातचीत (Negotiation) :–</u>

(i) जहॉ तक संभव हो बोलीदाताओं से कोई बातचीत (Negotiation) नही की जावेगी, किन्तु निम्न परिस्थितियों में केवल न्यूनतम या अधिकतम लाभप्रद बोली लगाने वाले से बातचीत की जा सकेगीः–

(क) जब बोली लगाने वालों के द्वारा मिलकर समूह कीमतें (Ring Price) दी गई हो या

(ख) जब प्रस्तुत दर एवं प्रचलित बाजार दरों में भारी अन्तर हो।

(ii) न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद बोली लगाने वाले को बातचीत (Negotiation) के लिए बुलाने के लिए न्यूनतम 7 दिवस का समय दिया जावेगा। किन्तु अत्यावश्यकता की स्थिति में मूल्यांकन समिति उक्त समय सीमा को कम कर सकेगी, बशर्ते न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद बोली लगाने वाले को सूचना प्राप्त हो गई हो।

7. **<u>बोली की विधि मान्यताः–</u>**

दरों की वैद्यता बिड खुलने की तिथि से 90 दिन की अवधि के लिए विधि मान्य होगी। निर्धारित विधि मान्यता की अवधि से कम अवधि के लिए कोई बोली गैर प्रत्युत्तरदायी (Non-Responsive bid) के रूप में मानकर अस्वीकार कर दी जावेगी।

8 अनुमोदित सप्लायर के लिए यह समझा जायेगा कि उसने प्रदाय की जाने वाली वस्तुओं की दशा, स्पेसिफिकेशन, साईज, गेक एवं ड्राईग आदि की सावधानी पूर्वक जांच कर ली है। यदि उसे इन शर्तो के किसी भाग, स्पेशिफिकेशन, ड्राईग आदि के आशय के बारे में कोई सन्देह हो तो वह बोली प्रस्तुत करने से पूर्व अपना आवेदन ''महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान जयपुर'' को भेजेगा तथा उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।

9. बोलीदाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सौपेगा या उप भाडे (Sub-let) पर नहीं देगा।

10. <u>माल (Goods) एवं सेवाओं (Services) के परिमाण (मात्रा) वृद्वि एवं पुनरादेश (Repeat Order)</u>

(i) यदि उपापन संस्था परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण कोई माल/सेवा का उपापन नहीं करती है या विनिर्दिष्ट मात्रा से कम अप्राप्त करती है तो बोली लगाने वाला किसी भी दावें या प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(ii) अतिरिक्त मदों (Items) या अतिरिक्त मात्रा के लिए पुनरादेश (Repeat Orders), संविदा में दी गई दरों और शर्तो पर दिये जा सकेंगे। प्रदायगी या कार्य पूर्ण करने की अवधि

भी आनुपातिक रूप से बढाई जा सकेगी। पुनरादेश किसी भी स्थिति में मूल संविदा के माल के मूल्य का 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

11. **संविदा के अधिनिर्णय (Award of Contract) के समय एक से अधिक बोलीदाताओं के मध्य विनिर्दिष्ट मात्रा का विभाजन** :–सामान्यतः उपापन की विषयवस्तु (मात्रा/सेवा) की समस्त मात्रा उस बोलीदाता से उपाप्त (क्रय) की जावेगी जिसकी निविदा (बोली) स्वीकार की गई है। तथापि जब यह समझा जावे कि उपाप्त की जाने वाली उपापन की विषयवस्तु की मात्रा बहुत अधिक है और इस सम्पूर्ण मात्रा प्रदाय करना उस बोली लगाने वाले की क्षमता में नहीं हो सकेगा जिसकी बोली स्वीकार की गई है या जब यह समझा जावे कि उपापन की विषयवस्तु गंभीर और महत्वूपर्ण प्रकृति की है तो ऐसे मामलों में वस्तु की मात्रा को, प्रथम न्यूनतम बोलीदाता जिसकी बोली स्वीकार की गई और द्वितीय निम्नतम बोलीदाता या इसी क्रम में और भी बोली लगाने वालों के मध्य अनुमोदित बोलीदाता की दरों पर ऋजु (Fair) पारदर्शी और साम्यापूर्ण रीति से विभाजित किया जा सकेगा।

12. **बोली प्रतिभूति (Bid Security) परिपत्र** :–

(i) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 42 के अनुसार बोली प्रतिभूति राशि विषय वस्तु के प्राक्कलित मूल्य का 2 प्रतिशत होगी। वित्त विभाग राजस्थान द्वारा जारी नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.2015 के बिन्दु संख्या 8 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी उद्यमी ज्ञापन–II/उद्योग आधार ज्ञापन की अभिस्वीकृति रखने वाले तथा स्वयं द्वारा अनुप्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करने पर राज्य के सूक्ष्म एवं लद्यु उद्यमों के लिए बोली प्रतिभूति राशि 0.50 प्रतिशत देय होगी।

(ii) बोली प्रतिभूति राशि "महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर" के नाम से निम्न रूप में दी जायेगीः–

(अ) नकद रसीद द्वारा या

(ब) नकद– शीर्ष "8443" सिविल निक्षेप– 103– प्रतिभूति निक्षेप" के अन्तर्गत ई–ग्रास चालान से जमा कराई जा सकती है। या

(स) शिडयूल्ड बैंक का बैंक ड्राफ्ट/बैकर्स चैक के द्वारा जमा कराई जावेगी ।

13. **करार एवं कार्य निष्पादन प्रतिभूति (Agreement and Performance Security)** :–

(अ) बोली आमंत्रण में अंकित आईटम की आपूर्ति हेतु सफल बोलीदाता को बोली स्वीकृति आदेश पत्र की दिनांक से अधिकतम 7 दिन में माल के प्रदाय के लिए बोली में अंकित कुल अनुमानित राशि की रकम की 2.5 प्रतिशत राशि कार्य निष्पादन प्रतिभूति के रूप में जमा करानी होगी एवं 500 रूपये के स्टाम्प पेपर पर सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियम में निर्धारित एस.आर. प्रारूप 17 में एक करार पत्र निष्पादित करना होगा। करार पत्र निर्धारित प्रारूप में नियत अवधि में निष्पादन नहीं करने पर बोली निरस्त योग्य है।

(ब) सफल बोली लगाने वाले की दशा में, बोली प्रतिभूति की रकम कार्य निष्पादन प्रतिभूति की रकम में समायोजित की जा सकती है या लौटायी जा सकती है यदि सफल बोली लगाने वाला पूर्ण रकम की कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि दे देता है।

(i) कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाऐगा।

(ii) कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि "महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान जयपुर" के नाम से निम्न में से किसी रूप में प्रस्तुत की जा सकेगीः–

(क) " ई.जी.आर.ए.एस. के माध्यम से जमा "

(ख) किसी अनुसूचित बैंक का बैंक ड्राफ्ट या बैंकर चैक,

(ग) राष्ट्रीय बचत पत्र और राजस्थान में किसी डाकघर द्वारा अल्प बचत के प्रोन्नयन के लिए राष्ट्रीय बचत स्कीमों के अधीन जारी कोई अन्य स्क्रिप्ट/लिखित, यदि वह सुसंगत निमयों के अधीन बंधक रखी जा सकती हो। बोली के समय वे उनके समर्पण मूल्य पर स्वीकार की जायेंगी और मुख्य डाकपाल के अनुमोदन से औपचारिक रूप से उपापन संस्था के नाम अंतरित की जायेंगी।

(घ) किसी अनुसूचित बैंक की बैंक गारंटी/गारंटियॉं। यह जारी करने वाले बैंक से सत्यापित करायी जायेगी।

(ड.) किसी अनुसूचित बैंक की नियत जमा रसीद (एफडीआर)। यह बोली लगाने वाले के खाते से उपापन संस्था के नाम होगी और बोली लगाने वाले द्वारा अग्रिम रूप से उन्मोचित (discharged) की जायेगी। उपापन संस्था नियत जमा

रसीद को स्वीकार करने के पूर्व यह सुनिश्चित करेगी कि बोली लगाने वाला बैंक की ओर से उपापन संस्था को संबंधित बोली लगाने वाले की सहमति की अपेक्षा के बिना, नियत जमा रसीद की मांग पर संदाय/समयपूर्व संदाय करने का वचन देता है। कार्य सम्पादन प्रतिभूति के समपहरण की दशा में नियत जमा एवं ऐसी नियत जमा पर अर्जित ब्याज के साथ समपहत कर ली जायेगी।

(च) खण्ड ख से ड. के प्रारूप में विनिर्दिष्ट कार्य सम्पादन प्रतिभूति वारन्टी बाध्यताओं और रखरखाव और दोष दायित्व कालावधि को सम्मिलित करते हुए बोली लगाने वाले की समस्त संविदांत बाध्यताओं के पूरा होने की तारीख से परे साठ दिनों की कालावधि के लिए विधि मान्य रहेगी।

नोटः– अनुबंध पत्र के साथ एन.एस.सी./पासबुक/डिफेंस बचत पत्र/किसान विकास पत्र आदि Pledge की हुई प्रस्तुत करना आवश्यक है।

(iii) संविदा के सन्तोषजनक रूप से पूर्ण कर दिये जाने के बाद या गारन्टी अवधि (यदि कोई हो तो) की समाप्ति के बाद, जो भी बाद में हो, तथा इससे सन्तुष्ट हो जाने पर कि बोलीदाता के विरूद्व कोई देय बकाया (Outstanding dues) नहीं है, निम्न अवधि में कार्य सम्पादन प्रतिभूति का प्रतिदाय (Refund) किया जाऐगा।

(क) एक समय पर खरीद के मामले में क्रय आदेश के अनुसार आईटम की अंतिम सप्लाई या गारण्टी की अवधि समाप्ति, जो बाद में हो, से एक माह के भीतर ।

(ख) यदि माल की सप्लाई को सान्तर (Staggered) किया जाता है तो अंतिम सप्लाई या गारण्टी अवधि की समाप्ति, जो बाद में हो, के दो माह के भीतर ।

(iv) **<u>कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि का समपहरण</u>** (Forfeiture of Work Performance Security Deposit): सुरक्षा राशि का पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नांकित मामलों मे समपहरण (Forteiture) किया जाऐगाः–

(क) जब संविदा की शर्तो का उल्लधंन किया गया हो।

(ख) जब बोलीदाता सम्पूर्ण सप्लाई सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो

(ग) जब बोलीदाता सप्लाई आदेश के अनुसार निर्धारित सप्लाई अवधि में माल की सप्लाई आरम्भ करने मे असफल रहता हो। कार्य निष्पादन राशि के समपहरण करने के मामलों में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाऐगा। इस संबंध में उपापन संस्था का निर्णय अंतिम होगा।

(v) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने तथा सुरक्षा राशि को गिरवी करने में हुआ व्यय बोलीदाता द्वारा वहन किया जाऐगा तथा विभाग को करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपडत (Counter foil) निःशुल्क प्रस्तुत की जाऐगी।

(vi) बोलीदाता द्वारा करार के निष्पादन के समय निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये जाऐगेः–

(अ) यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (Partnrership Deed) की एक अभिप्रमाणित प्रति।

(ब) यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्मस के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष।

(स) एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास तथा कार्यालय का पता,टेलिफोन नम्बर।

(द) कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया प्रमाण–पत्र

(vii) साझेदारी फर्म/कम्पनी की स्थिति में बोली एवं अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत प्रतिनिधि को अधिकृत करने सम्बन्धी अधिकार पत्र फर्म/कम्पनी द्वारा संलग्न किया जाये।

14. <u>बोली लगाने से विवर्जनः–</u>

(i) बोली लगाने वाला राज्य सरकार द्वारा विवर्जित किया जायेगा, यदि वह –

(क) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन या

(ख) भारतीय दण्ड संहिता 1860 या तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि के अधीन, लोक उपापन संविदा के निष्पादन के भाग के रूप में जीवन या सम्पत्ति की हानि कारित करने या लोक स्वास्थ्य की आशंका कारित करने के किसी अपराध के लिए दोष किया गया है।

उपर्युक्त के अधीन विवर्जित बोली लगाने वाला उस तारीख जिसको वह विवर्जित किया गया था, से प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए किसी उपापन संस्था की उपापन प्रक्रिया में भाग लेने के योग्य नही होगा।

(ii) किसी बोली लगाने वाले ने आरटीपीपी एक्ट 2012 की धारा 11 के निबधनों में विहित सत्यनिष्ठा संहिता का भंग किया गया है तो उपापन संस्था बोली लगाने वाले को तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिए विवर्जित कर सकेगी।

(iii) जहॉ किसी बोली लगाने वाले की सम्पूर्ण बोली प्रतिभूति या संपूर्ण कार्य सम्पादन प्रतिभूति या, यथास्थिति, उसका कोई भी प्रतिस्थापन उपापन संस्था द्वारा किसी भी उपापन प्रक्रिया या उपापन संविदा में समपहृत कर लिया गया है तो बोली लगाने वाले को उपापन संस्था द्वारा हाथ में ली जाने वाली किसी भी उपापन प्रक्रिया में भाग लेने से तीन वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए विवर्जित किया जा सकेगा।

(iv) राज्य सरकार या, यथा स्थिति, उपापन संस्था उपर्युक्त शर्त के अधीन किसी बोली लगाने वाले को तब तक विवर्जित नही करेगी जब तक की ऐसी बोली लगाने वाले को सुनने का युक्तियुक्त अवसर नही दे दिया गया हो।

15. **बीमाः—**

बोलीदाता द्वारा सामान गंतव्य स्थान पर सही दशा में सुपुर्द किये जाऐगे। यदि सप्लायर चाहे तो मूल्यवान सामान को चोरी, नाश या क्षय द्वारा या आग, बाढ, मौसम में पड़ा रहने के कारण या अन्यथा (युद्व, दंगे, विद्रोह आदि द्वारा) हानि से बचाने के लिए बीमा करा सकेगा। यह बीमा प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किया जाऐगा तथा विभाग/राज्य सरकार से इन प्रभारों के भुगतान की अपेक्षा नहीं की जाऐगी ।

16. **भुगतानः—**

(i) सप्लायर द्वारा सप्लाई किये गऐ माल के संबंध में, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार उचित प्रारूप में बिल तीन प्रतियो में प्रस्तुत करने पर बजट उपलब्धता के आधार पर नियमानुसार भुगतान किया जाऐगा।

(ii) माल के भुगतान करने पर किये गऐ प्रेषण प्रभार (Remittance Charges) बोलीदाता द्वारा वहन किए जावेगे।

(iii) विवादस्पद आईटम के संबंध में 10% से 25% तक राशि रोकी जाऐगी तथा विवाद का निपटारा हो जाने पर ही उसका भुगतान किया जा सकेगा ।

(iv) उन मामलों में जिनमें परीक्षण की जरूरत है, भुगतान तभी किया जाऐगा जब विहित परीक्षण कर लिये जाऐगे तथा परीक्षण से प्राप्त परिणाम विहित स्पेशिफिकेशन के अनुरूप होगे ।

(v) संविदा पत्र मे सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ट अवधि को संविदा के सार के रूप में समझा जाऐगा तथा सफल बोलीदाता, विभाग से प्रदायगी आदेश जारी होने पर, निर्धारित अवधि के भीतर सप्लाई पूर्ण करेगा ।

(vi) **परिनिर्धारित क्षति** (Liquidated Damages):—

परिनिर्धारित क्षति के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्वि करने के मामले में वसूली निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर उन स्टोर के मूल्यों के लिए की जाऐगी जिनकी बोलीदाता सप्लाई करने में असफल रहा हैः—

(क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए —2.5%

(ख) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि से अधिक — 5%
किन्तु विहित अवधि की आधी अवधी से अनधिक के लिए

(ग) विहित सुपुर्दगी अवधि की आधी अवधि से अधिक किन्तु — 7.5%
विहित अवधि के तीन चौथाई से अनधिक अवधि के लिए

(घ) विहित सुपुर्दगी अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए—10%

(ड.) विलम्ब की अवधि में आधे दिन से कम के भाग को छोड दिया जायेगा ।

(च) परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि 10% होगी ।

(छ) यदि प्रदायकर्ता (सप्लायर) किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल की सप्लाई को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी आदेश दिया है। किन्तु वह, उसके लिए आवेदन, बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा ।

(ज) यदि माल की सप्लाई करने में उत्पन्न हुई बाधा बोलीदाता के नियन्त्रण से परे कारणो से हुई हो, तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित की जा सकेगी।

नोट : प्रदायगी अवधि के अन्तिम तिथि को राजपत्रित अवकाश होने पर आगामी कार्य दिवस को मध्यान्ह पूर्व तक प्रदायगी करने पर परिनिर्धारित क्षति की वसूली नही की जावेगी।

17. **वसूलियॉं**:—परिनिर्धारित क्षति, कम सप्लाई, टूट फूट रद्द की गयी वस्तुओ के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जाएगी। कम सप्लाई, टूट फूट, रद्द किए गए मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि सप्लायर सन्तोषजनक ढंग से उनको नही बदलता है तो परिनिर्धारित क्षति (Liquidated Damages) के साथ वसूली उसकी देय राशि (Dues) एवं विभाग के पास उपलब्ध सुरक्षा राशि से की जायेगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी.डी.आर. एक्ट या प्रवृत किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाऐगी।

18. बोलीदाताओ को यदि आवश्यक हो तो, आयात लाईसेन्स प्राप्त करने के लिए अपनी स्वंय की व्यवस्था करनी होगी।

19. बोली शर्तो के अतिरिक्त कोई शर्ते स्वीकार नही की जावेगी। यदि बोलीदाता ऐसी शर्तें आरोपित करता है, जो बोली शर्तों के अतिरिक्त है या उनके विरोध में है, तो उसकी बोली को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जाऐगा । किसी भी स्थिति में बोलीदाता द्वारा दी गई शर्तो को स्वीकार किया हुआ नही समझा जाऐगा जब तक कि विभाग द्वारा जारी किये गये बोली स्वीकृति पत्र में विशेष रूप से उसको उल्लेखित नहीं कर दिया गया हो।

20. विभाग के पास किसी भी बोली को स्वीकार करने, बिना कारण बताये रद्द करने या बोली आमंत्रण में अंकित किसी भी आईटम को एक से अधिक सप्लायर को वितरित करने का अधिकार आरक्षित रहेगा।

21. समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो, किसी भी पक्षकार (सरकार या बोलीदाता) द्वारा जयपुर में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जाऐगी, अन्यत्र पेश नहीं की जाऐगी।

22. बोली प्रस्तुत करने के बाद बोली के सम्बन्ध में बोलीदाता/उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि जिसके हस्ताक्षर प्रमाणित किये हुये है, द्वारा किये गये पत्र व्यवहार ही स्वीकार्य होंगे।

23. मूल बोली प्रपत्रों के अतिरिक्त जिन दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिया चाही जा रही है वह स्वयं बोलीदाता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रमाणित की जानी आवश्यक है अन्यथा उक्त प्रतिलिपि/प्रतिलिपियां मान्य नही होगी।

24. बोली के साथ सभी वांछित दस्तावेज/प्रमाण पत्र बोली जमा कराने की अंतिम तिथि तक वैद्य होने चाहिए।

25. फर्म द्वारा मजबूत एवं पुष्ट आधार प्रस्तुत करने पर ही विभागीय क्रय समिति किसी प्रकरण विशेष में गुणावगुण के आधार पर यदि उचित समझती है या किसी प्रक्रियात्मक त्रुटि के कारण प्रतिस्पर्धा बाधित होती है तो पुनः वांछनीय दस्तावेज एवं वांछित स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निर्णय ले सकती है।

8/7/22

महानिरीक्षक पुलिस (कारागार)
राजस्थान जयपुर

परिशिष्ट "द"

महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर

बोलीदाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैने/हमने जिन मालों/सामानों/जिन आईटम के लिए बोली दी है, उनका/उनके/मैं/हम बोनाफाईड विनिर्माता/निर्माता (सूक्ष्म/लघु)/थोक विक्रेता/सोल वितरक/अधिकृत डीलर/डीलर/सोल विक्रय/विपणन एजेन्ट/सद्भावी सप्लायर हूँ/हैं। मेरे द्वारा विभागीय परिशिष्ट तथा बोली आमंत्रण सूचना, विस्तृत आमंत्रण सूचना एवं मुख्य शर्तो को पूर्ण रूप से पढकर समझ लिया है। मेरे द्वारा उन शर्तो की पूर्ण पालना की गई है/करूंगा/करेंगे और मैं/हम उन्हें अक्षरशः स्वीकार करते है।

मै/हम कारागार विभाग, एवं अन्य किसी भी राजकीय विभाग से ब्लैक लिस्टेड़ नही है। यदि ऐसा पाया जावें तो उसके लिए संबंधित नियमों/कानून के तहत कार्यवाही के लिए सहमत है। यदि यह घोषणा असत्य पाई जावे तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपहृत किया जा सकेगा तथा बोली को जिस सीमा तक स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जावे।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय मोहर

Annexure A: Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall-

(a) Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) Not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) Not indulge in any collusion, Bid rigging or anticompetitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) Not misuse any information shared between the procuring entity and the bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) Not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) Disclose conflict of interest, if any; and

(h) Disclose any previous transgressions with any entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of interest.-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.
A Conflict of interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

(i) A bidder may be considered to be in conflict of interest with one or more parties in the bidding process if, including but not limited to:

(a) Have controlling partners/shareholders in common; or

(b) Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or

(c) Have the same legal representative for purposes of the bid; or

(d) have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the bid of another bidder, or influence the decisions of the procuring Entity regarding the bidding process; or

(e) The bidder participates in more than one bid in a bidding process. Participation by a bidder in more than one bid will result in the disqualification of all bids in which the bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a bidder, in more than one bid; or

(f) the bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the goods, Works or services that are the subject of the Bid; or

(g) Bidder or any of its affiliates has been hired (or proposed to be hired) by the procuring entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

Signature of bidder

Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to ....for procurement of..in response to their Notice inviting Bids No.........................Dated...................................I/we .... hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 that :

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entry;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payble to the union and the state government or any local authority as specified in the Bidding Document.
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date :

Place :

Signature of bidder

Name :

Designation :

Address :

Annexure C :Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is **DG & IG Jail Rajasthna, Jaipur.**
The designation and address of the Second Appellate Authority is **Principal Secretary/Additional Cheif Secretary Home Department Govt. of Rajasthan, Jaipur**.

(1) Filing an appeal:-

if any bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the procuring entity is in contravention to the provisions of the Act or the rules or the guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate authority, as specified in the Bidding document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a bidder as successful the appeal may be filed only by a bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a procuring entity evaluates the technical bids before the opening of the financial bids, an appeal related to the matter of financialbids may be filed only by a bidder whose technical bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under Para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under Para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in Para (2), or if the bidder or prospective bidder or the procuring entity is aggrieved by the order passed by the first appellate authority, the bidder or prospective bidder or the procuring entity, as the case may be, may file a second appeal to second appellate authority specified in the bidding document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in Para (2) or of the date of receipt of the order passed by the first appellate authority, as the case may be.

(4) Appeals not to lie in certain cases:-

No appeal shall lie against any decision of the procuring entity relating to the following matters, namely:-

(a) Determination of need of procurement
(b) Provisions limiting participation of bidders in the bid process
(c) The decision of whether or not to enter into negotiations
(d) Cancellation of a procurement process
(e) Applicability of the provisions of confidentiality+

(5) Form of Appeals:-

(a) An appeal under Para (1) or (3) above shall be in the annexed form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee,

(c) Every appeal may be presented to first appellate authority or second appellate authority, as the case may be, in person or though registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing Appeal:-

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a scheduled bank in India payable in the name of appellate authority concerned.

(7) Procedure for disposal of Appeal:-

(a) The first appellate authority or second appellate authority as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing

(b) On the date fixed for hearing, the first appellate authority of second appellate authority, as the case may be shall-

(i) Hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) Peruse or inspect documents, relevant records or copies theresof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the appellate authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the state public procurement portal.

Signature of bidder

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. **Correction of arithmetical errors**

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. If there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

ii. It there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected ; and

iii. If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. **Procuring Entity's Right to Vary Quantities**

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, Works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(i) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procuredby placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the supplier.

3. **Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)**

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

Signature of bidder

SCHEDULE 'H': CONDITION OF CONTRACT

FORM No. 1
[see rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public procurement Act, 2012

Appeal No……………………………………of
………………………………Before
the……………..……………(First/Second Appellate authority)

1- Particulars of appellant :

(i) Name of the appellant:

(ii) Official address, if any:

(iii) Residential address:

2- Name and address of the respondent(s):

(i)

(ii)

(iii)

3- Number and date of the order appealed Against and name and designation of the Office/authority who passed the order (Enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4- If the Appellant propose to be represented by a representative the name and postal address of the representative:

5- Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6- Grounds of appeal : ....
....
....
(Supported by an affidavit)

7- Prayer :..
....
....

Place :...................

Date : ....

Appellant's Signature